**भारत सरकार**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय**

**उच्‍चतर शिक्षा विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 1128**

उत्‍तर देने की तारीख: 16.12.2013

**निजी क्षेत्र द्वारा तकनीकी संस्थाओं की स्थापना**

**1128. डॉ॰ के॰ पी॰ रामालिंगमः**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार निजी क्षेत्र द्वारा तकनीकी संस्थाओं की स्थापना को अनुमति देने हेतु राजी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस वर्ष नौ कॉरपोरेट घरानों ने प्रबंधन तथा तकनीकी संस्थानों की स्थापना करने हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुमोदनार्थ आवेदन किया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्‍य मंत्री**

**(डॉ. शशि थरूर)**

**(क) और (ख) :** मंत्रालय, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्‍यम से उन आवेदक संस्‍थाओं, जो समय-समय पर विहित मानदंडों तथा मानकों को पूरा करते हैं, को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 के खंड 10 (ट) के प्रावधानों के अधीन सोसायटियों/न्‍यासों/कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनियों/केन्‍द्र सरकार/राज्‍य सरकार इत्‍यादि द्वारा नए तकनीकी संस्‍थान स्‍थापित करने के अनुमोदन प्रदान करता है।

**(ग) और (घ) :** इस वर्ष के दौरान किसी भी कारपोरेट सदन ने प्रबंध और तकनीकी संस्‍थानों की स्‍थापना करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदनार्थ आवेदन नहीं किया है।

**\*\*\*\*\***